न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2018 (उदयपुर आर्डर)

दूदा मुतबना श्री नंदा गाडरी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती खीमा बाई पत्नी श्री नंदा गाडरी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती काली बाई पत्नी श्री उदा गाडरी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
18.12.2017 प्रकरण संख्या 208/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री नरे ा जणवा अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 28—09—2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली डांगियान में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 के परि िश्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' व ''घ'' की आराजियात स्थित हैं, जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 का हिस्सा प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्सेनुसार है तथा भोश हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की पु तैनी है। प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 से अनबन हो जाने से परि िश्ट ''क'' की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात का 1/6 हिस्सा अजनवी क्रेता विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 02—12—2013 को विक्रय कर दिया है तथा अन्य भूमियां विक्रय करने की धमकी देती है, जबकि पक्षकारान के मध्य अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है, उसका नाम गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी को कभी भी नंदा जी ने गोद नहीं रखा। मौके पर कब्जा विपक्षी संख्या 1 का है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कब्जेदार एवं खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निशेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 18—12—2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05—02—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजियात पैत्रृक होकर सहखातेदारी की भूमि है। माता का सिर्फ भरण—पोशण तक ही हक, हित है, जबकि तब भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक भूमि के किसी हिस्से को उसे विक्रय करने का अधिकार नहीं है। सहखातेदारी की भूमि बिना विधिवत विभाजन कराये अजनवी क्रेता को विक्रय किये जाने से अनाव यक विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं अपीलान्ट का अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा ताफैसला मूलवाद मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदे ा फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित आराजी [illegible] नंदा के नाम दर्ज होकर विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत हुआ है। इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलान्ट कभी भी नंदा के गोद नहीं गया इसलिए उसके नाम गलत नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है, किन्तु अपीलान्ट नंदा के गोद गया अथवा नहीं इसका निर्धारण तो मूलवाद में साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकता। विवादित आराजियात अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के सहखातेदारी में दर्ज है तथा सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है। सहखातेदारी की भूमि अनजवी क्रेता को विक्रय किये जाने से प्रकरण में अनाव यक विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अपीलान्ट विवादित आराजियात का सहखातेदार दर्ज है, वह गलत दर्ज अथवा सही, इसका निर्धारत तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकता। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–12–2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested